Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में संसदीय लोकतंत्र और चुनाव घोषणा पत्र का महत्त्व

सरोज कुमार*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मोनहलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

लोकतंत्र – अर्थ एवं महत्व –मानव जाति के प्रारम्भिक काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ विद्यमान रही है और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीनतंत्र व लोकतंत्र अधिक प्रमुख है। शासन प्रणालियों के विभिन्न स्वरूपों में लोकतंत्र सबसे मर्यादित एवं प्रतिष्ठित है। यह केवल एक शासन पद्धति न होकर एक सार्थक जीवन पद्धति है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूलमंत्र स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना है जो फ्रांस की क्रांति के बाद सशक्त रूप से एक सर्वमान्य लोकतांत्रिक वितर्श के यप में प्रस्थापित हुआ।

लोकतंत्र जनता की शक्ति का प्रतिफलन होने के साथ-साथ व्यक्ति की सर्वोन्मुखी उन्नति का साधन भी है, जिसमें शासक वर्ग के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। यह आर्थिक समानता, राजनीतिक समता का ही नहीं, अपितु सुदृढ़ आत्मबल का भी प्रतीक है। लोकतंत्र से आशय है जनता का शासन। जिस शासन प्रणाली में जनता अपने भाग्य की लकिरें स्वयं बनाते हुए अपनी स्थापना, अपना वजूद और अपनी अस्मिता की पहचान देती है, वही लोकतंत्र है।

लोकतंत्र एक विकासशील दर्शन है, जीवनयापन की गतिशील पद्धति भी है। लोकतंत्र केवल अधिकारों पर ही जीवित नहीं रहता वरन् उसका मूल, कर्तव्य पर आश्रित है। समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति लोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतंत्र मर्यादा की मांग करता है और व्यक्ति के आचरण में उतारता है। लोकतंत्र हिंसा व नकली क्रांति को रोकता है।

एक शासन प्रणाली के रूप में प्रजातंत्र का आशय उस शासन व्यवस्था से होता है, जिनमें सम्प्रभुत्व अंतोगत्वा किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में न होकर सम्पूर्ण जनता के ही हाथ में रहता है और जिसमें शासन तंत्र सम्पूर्ण जनता के द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा अथवा कम से कम उसकी सहमति द्वारा ही चलाया जाता है जिसमें किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष का नहीं वरन् सम्पूर्ण जनता का ही हित प्रधान लक्ष्य होता है।

एक लोकतान्त्रिक समाज की आधारशिला उस समाज की विविधाता में सन्नहित होती है। समाज में लिंग, जाति, भाषा, रंग, स्थान के आधार पर भेदभाव न हो और समाज में समरसता एवं व्यवस्था बनी रहे इसलिए आवश्यक है कि उस समाज से एक स्थान ऊपर एक सिक्त राज्य हो तथा उस राज्य को मूत:रूप प्रदान करनेवाली एक प्रतिनिधियात्मक सरकार हो। एक सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का सतत पालन करे, संविधानवाद के अनुसार शासन व्यवस्था चले और शासन को समाज से भी लगातार वैधता प्राप्त होती रहे इसलिये यह जरूरी है कि सरकार का चुनाव एक निति कार्यकाल के लिए हो। नियतकालिक चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला होती है। इसके माध्यम से न केवल जनता को शासन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का अवसर मिलता है बल्कि इसके साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को भी जनता की इच्छा अनुरूप अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का मौका मिलता है।

लोकतन्त्र और राजनीतिक दल – लोकतन्त्र और राजनीतिक दल का गहरा रिश्ता है। राजनीतिक दल का प्रजातन्त्र में होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य सा लगता है। दोनों एक-दूसरे से अविच्छेद है। राजनीतिक दल के अभाव में लोकतन्त्र अव्यवहार्य बन जाता है। राजनीतिक दल को बर्क ने ऐसे व्यक्तियों का समूह कहा है जो किसी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किसी एक विशिष्ट सिद्धान्त को आधार मानकर अपना सन्धान करते है। डब्ल्यू. बी. मुनरो के शब्दों में स्वतन्त्र राजनीतिक दलो। का शासन लोकतन्त्रीय शासन का ही दूसरा नाम है। जहाँ अनेक राजनीतिक दल नहीं रहें वहाँ स्वतन्त्र शासन कभी नहीं रहा। क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता का शासन होता है जनता द्वारा निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस सम्पूर्ण व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है यद्यपि जय प्रकाश नारायण ने दल विहिन लोकतंत्र के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है।

संसदीय लोकतन्त्र की कोई भी कल्पना राजनैतिक दलों के अभाव में अधूरी रह जाएगी। यदि किसी संसद या विधानसभा में एक ही राजनैतिक दल हो और वही सरकार को चलाए तो कुछ ही समय में वह सरकार पंगु अथवा निष्क्रिय हो जाएगी। क्योंकि वह कोई भी गलती करेगी तो उसकी गलती बताने वाला कोई भी नहीं होगा। इसका तो एक मात्र विकल्प राजशाही या तानाशाही ही होगा। मानव समाज मत-मतान्तरों से ओत-प्रोत रहता है। किसी भी विचारधारा या योजना में अच्छे-बुरे और सही-गलत, लागू हो सकने वाले और असंभव, दोनों पहलू होते हैं और उन्हें सही दिशा में चलाए रखने या लागू करने के लिए दूसरे पहलू को सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है यही पर विपक्ष की भूमिका का उदय होता है। राजनीतिक जीवन की क्रमश: परिपक्व होती अवस्था में इसका महत्त्व क्रमश: बढ़ता जाता है और अंत में वह चलकर शासन के विकल्प का रूप ले लेता है।

आज किसी देश की राजनीतिक दलों के बगैर परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण लार्ड ब्राइस में लोकतन्त्र के पहियों के रूप में

राजनीतिक दलों को अपरिहार्य माना है। ह्युवर ने प्रजातन्त्र यन्त्र के परिचालन में राजनीतिक दलों को तेल के समान माना है। ऐलेन वॉल ने कहा है कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं।

राजनीतिक दल की इसी महत्ता को परिभाषित करने के लिए प्रसिद्ध विचारक मैकाइवर ने कहा है कि 'बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धान्त का एक होकर प्रशासन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनावों की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्था की स्थापना ही हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त कर सकता है।' इसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन होते हैं।

संसदीय लोकतन्त्र में तो राजनीतिक दलों का होना और भी आवश्यक है। आधुनिक युग में राजनीतिक दल प्रजातन्त्र के जीवन रक्त है, इसके बिना प्रजातन्त्र निरंकुश तन्त्र में तब्दील होने की सम्भावना रहती है। इन बातों से स्पष्ट है कि अधिनायकवाद या तानाशाही से बचने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है।

राजनीतिक दलों की जब बात करते हैं तो यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी गुट से भिन्न होते है। गुट अपेक्षाकृत संकीर्ण हितों के लिए आपस में लड़ते हैं, वे समग्र से पृथक पहचान बनाना चाहते हैं जबकि राजनीतिक दल व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि वर्तमान में तो राजनीतिक दल तथा गुट में भेद करना लगभग असम्भव दल क्षेत्र, वर्ग या समूह की एक सूत्रीय नीति को लेकर भी चुनाव लड़ते है। इस प्रकार राजनीतिक दल हित अथवा दवाब समूह से भिन्न प्रकृति के संगठित समूह है।

भारतीय संविधान में कही पर भी राजनैतिक दलों का वर्णन नहीं मिलता है। परन्तु भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व ही 1885 ई. में ए. ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज अधि भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान की है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का गठन दलीय आधार पर ही किया जाता है और विरोधी दल सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर निगरानी रखते हैं और उनकी त्रुटियों का पता लगाकर जनता को उनसे अवगत कराते हैं। यदि सरकार बहुमत का समर्थन खो देती है तो विरोधी दल उसका स्थान ले लेता है अत: यह स्पष्ट है कि लोकतन्त्र के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। राजनीतिक दल ही संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का गठन करते हैं और पराजित दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं।

स्वतन्त्रता के बाद तीन दशकों तक कांग्रेस का एक छत्र राज केन्द्र में रहा। इसके अलावा राज्यों में भी कांग्रेस का राज रहा। 1980 के बाद से कांग्रेस का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी अपने राजनैतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा की स्थापना 1980 ई. में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इससे पूर्व भाजपा जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना 1951 ई. में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वर्तमान में भाजपा की केन्द्र में सरकार है और भारत के आधे राज्यों से ज्यादा में भाजपा की सरकारें है। इसके अलावा 1977 ई. में जनता पार्टी का गठन हुआ और इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की थी और मौरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमन्त्री बने थे। लेकिन आपसी मतभेद के चलते जनता पार्टी की सरकार 1980 में गिर गई और जनता पार्टी बिखर गई। 1989 ई. में जनता दल का गठन हुआ और वी. पी. सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। लेकिन आपसी मतभेद और सत्ता के संघर्ष के कारण 1990 ई. में जनता दल भी बिखर गया और सरकार गिर गई। तत्पश्चात साझा सरकारों के दौर में छोटी बडी अनेक दलों का महत्व बढ गया और उनके चुनाव घोषणा पत्रों में रूचि भी बढ गयी। 2014 के पश्चात भाजपा नीत एन डी ए का सशक्त बहुमत का चुनाव घोषणा पत्रों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत बढी है।

भारत की चुनावी प्रक्रिया शासन है जहाँ भारत की चुनाव व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी और जतिल चुनाव प्रणावलयों में से एक है। भारत की चुनाव प्रणाली की जतिलता का अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मतदाताओं की संख्या 81.45 लाख करोड़ से ज्यादा है। कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 930000 है। चुनाव करवाने में सुरक्षा केवल पुलिस व अर्द्धसैनिक बलो के सैनिकों की संख्या लगभग 12 लाख है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आधुनिक लोकतन्त्र के ढ़ांचे में कार्यान्वयन की दृष्टि से चुनाव का विशेष महत्त्व है। जनता शासन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर शासन कार्यों में भाग लेती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहा जाता है। परन्तु यह प्रणाली कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही सम्भव है। वर्तमान में अधिकांश देशों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि सम्पूर्ण जनता का शासन कार्य के लिए एकत्र होना सम्भव नहीं है। इसलिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य करते हैं। चुनाव लोकतन्त्र के पर्व होते हैं। चुनाव वह साधन है जिसके द्वारा नागरिकों में सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा उत्पन्न होती है। आम चुनाव में विभिन्न राजनीति दल जनता के सामने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जनता अपना निर्णय मत पत्र द्वारा अभिव्यक्त करती है। इस तरह से चुनावों के द्वारा सरकार को वैधानिकता की शक्ति प्राप्त होती है तथा राजनीतिक दलों और नेताओं से यह आशा की जाती है कि इस अवसर पर जनमत को जागृत तथा प्रशिक्षित करें। चुनावों का प्रयोजन मात्र दलों की हार-जीत या सत्ता परिवर्तन नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा अवसर होता है। जब लोकतन्त्र अपने वास्तविक रूप में सामने आता है ।

नागरिक और मतदाता के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हो जाता है। लोकतन्त्र में चुनावों का अवसर मतदाताओं को राजनैतिक प्रशिक्षण देने तथा राष्ट्रीय मतदाताओं को राजनैतिक प्रशिक्षण देने तथा राष्ट्रीय समस्याओं से उसे अवगत कराकर उसकी चेतना को जगाने से होता है। चुनाव का महत्त्व केवल सत्ता पाने या विरोधियों को हराना ही नहीं है। बल्कि सामान्य मतदाता के ज्ञान एवं विवके को जागृत करके प्रस्थापित तन्त्र के साथ उसकी सम्बद्धता और प्रतिबद्धता को इक्ट्ठा कर उस प्रणाली के प्रति विश्वास कराना है। चुनावों को जनता व सरकार के बीच कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतन्त्र में सबसे ज्यादा महत्त्व जनता और मतदाता का होता है और चुनाव जनमत की अभिव्यक्ति के अवसर होते हैं। लोकतन्त्र में चुनाव अवसर इस बात पर जोर देता है कि उसके द्वारा लोकमत को अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार मिले और वह मनचाही सरकार की स्थापना करने

का अभिमत प्रकट करे। और इससे राजनैतिक भागेदारी भी बढ़ती है। जो कि लोकतन्त्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाता है।

लोकतन्त्र को चलाने के लिए लोगों की भागेदारी बहुत जरूरी है और इसके लिए राजनैतिक दलों की जरूरत होती है क्योंकि लोग राजनैतिक दलों को ही वोट देते हैं। राजनैतिक दल विभिन्न क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं और इन उम्मीदवारों को लोग मतदान करते हैं। चुनाव के समय राजनैतिक दलों द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं और इन चुनाव घोषणा पत्रों को देखकर ही लोग मतदान करते हैं। जिस भी दल के चुनाव घोषणा पत्र से लोग सहमत होते हैं उसे ही मतदान करते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व की भावना के विकास में चुनावी घोषणा पत्रों की महती भूमिका रही है चुनावी घोषणा पत्रों की चुनावी (भारतीय) राजनीति में भूमिका घोषणा पत्र से किसी राजनैतिक दल की विचारधारा, नीतियों व कार्यक्रमों का पता चलता है।

घोषणा पत्र के आधार पर ही लोगों का विश्वास व आस्था राजनैतिक दलों से जुडती है। अगर चुनाव के बाद सत्तारूढ़ राजनैतिक दल घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल नहीं करता तो लोगों का सरकार व राजनैतिक दल से विश्वास उठ जाता है और अगले चुनाव में राजनैतिक दल के विरोध में मतदान करके सत्ता से बाहर कर देते हैं। उसके बाद फिर पराजित दल विपक्ष में बैठकर सत्तारूढ़ सरकार की कमियाँ जनता के सामने लाता है। सरकार की गलत नीतियों का विरोधा करता है और जनता के हितों की आवाज बुलंद करता है। जिससे कि वह जनता का खोया हुआ विश्वास हासिल कर सके। लोकतन्त्र शासन पद्धति में सत्तारूढ़ दल और विपक्षों दल दोनों जनता के बीच रहते हुए प्रयास करते हैं। उन्हें राजनीतिक शिक्षा देते हैं। ताकि जनता का भरोसा उन पर बना रहे। यही लोकतन्त्र भासन पद्धति की खासयित है। इसी कारण 20वीं और वर्तमान सदी में ज्यादातर देशों ने लोकतन्त्र शासन पद्धति को अपनाया।

चुनाव में सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र निकालते हैं। जिसमें वह अपनी चुनाव नीतियों, घोषणाओं व वायदों का प्रारूप जारी करते हैं। जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव घोषणा पत्र किसी भी राजनीतिक दल को अपनी उदान्त आशाओं तथा महान आंकाक्षाओं को समय-समय पर व्यक्त करने का अवसर देता है। यह अवसर अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करने और सम्पन्न किए गए कार्यों को बताने का भी है। घोषणा पत्र एक ऐसा अवसर है। जब हम अपनी जनता के समक्ष अपने चिन्तन की नवीनता, संकल्प की निर्भीकता और उद्देश्य की स्पष्टता प्रदर्षित करते हैं। लेकिन यह एक संजीदा अवसर भी है। क्योंकि घोशणा पत्र वह प्रतिज्ञा है। जो कोई भी राजनीतिक दल अपने वायदों को पूरा और अपने वचनों को निभाने के लिए करते हैं। चुनाव घोषणा पत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रलेख है। दलों की परख उन्हीं से होती है। वे विचारों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। उनमें दल की प्रतिज्ञाएँ होती है। यदि सत्ता में आने पर कोई दल अपने वायदों को पूरा नहीं करता तो निश्चय ही उसकी आलोचना होती है।

राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की परम्परा है। जिसके द्वारा दल मतदाताओं के समक्ष दल के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा, देश से जुड़ी समस्याओं एवं समाधान व नई दिशा देने की सोच को प्रस्तुत करता है। मतदाताओं की आंकाक्षाओं को समझते हुए उनसे कुछ वायदे भी किए जाते हैं। चुनाव घोषणा पत्रों का परस्पर तुलनात्मक विश्लेषण करके जनता को इस बारे में जागृत करना भी भारत समेत अन्य लोकतंत्रों में उत्तरदायित्व विकसित करने का एक बडा माध्यम बन चुका है। चुनाव अभियान के दौरान चुनाव घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर जनता प्रश्न भी करने लगी है।

सोशल मिडियो के विविधा प्लेटफार्म इस प्रकार की अंतकिया का एक सशक्त माधयम बन चुका है।

घोषणा पत्र का अर्थ एवं तात्पर्य – मेनीफेस्ट शब्द इटालियन शब्द 'मेनीफेस्टे' से अद्भूत है। जिसका अर्थ है जो आँखों से सहजता से देखा जा सके या दिमाग से विचारा जा सके। अत: उत्पत्ति व अर्थ की दृष्टि से उन विचारों को जहाँ तक हो सके स्पष्ट करना।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार – चुनाव घोषणा पत्र जनसाधारण के लिए किसी भी सम्प्रभु देश, राज्य, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अथवा उसकी सहमति से जारी किया जाता है। जिसमें जनसाधारण की महत्त्व की बातों का उल्लेख होता है। जिसके द्वारा उसके घोषणा कर्त्ताओं की पिछली गतिविधियाँ ज्ञात हो सके तथा आगे जो करना है उनके कारणों और उद्देश्यों का वर्णन है।

चैम्बर्स की 20वीं सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार- घोषणा पत्र को इस प्रकार परिभाषित करती है जो एक सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र, नेता, दल या संगठन के उद्देश्यों, विचारों को घोषित करे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि घोषणा-पत्र एक ऐसा प्रपत्र है जो राजनीतिक दलों के मस्तिष्क एवं भविष्य के कार्यक्रमों को उद्घाटित करता है और मतों को आकर्षित करने का तरीका है।

राजनीतिक दल का घोषणा पत्र सम्बन्धित दल का मुखपत्र होता है। जो उसके कार्यक्रमों और नीतियों से सम्बन्धित होता है और चुनाव जीतने के बाद कार्यान्वित किया जाता है। चुनाव घोषणा पत्र समाज, राज्य और आर्थिक नीतियों के प्रति दल के दृष्टिकोण को दर्शाता है और कार्यकर्त्ताओं की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। घोषणा पत्र पुरानी विचारधाराओं, धारणाओं और भविष्य में विकसित होने वाली विचारधारा के बीच का अन्तरिम दस्तावेज ही कहा जा सकता है।

घोषणा पत्र कमोवश दोनों के कल्पित आत्मकथ्य होते हैं और बहुविधा अलंकरण के अनुष्ठान होते हैं। वे राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते हैं और मतदाताओं को अपने विचारधारा व वादों से बाँधाते हैं। वे मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं, देश की समस्याओं से अवगत कराते हैं तथा दल की योजना व नीति तथा मूल्यपूरक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। चुनाव ऐसा अवसर होता है जब राजनीतिक दल लोगों से वादे करते हैं और वादे उनके घोषणा पत्र में शामिल होते हैं। घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के लिए अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति नया दृष्टिकोण पेश करने का मौका होता है। जिसमें उनकी दृढ इच्छा, उद्देश्य और संकल्प शक्ति का परिचय मिलता है। यह वह प्रतिज्ञा है जिसमें कोई भी दल अपने चिन्तन की नवीनता, संकल्प की निर्भीकता और उद्देश्यों की स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है चुनाव से पूर्व घोषणा पत्रों को लिखित रूप में जनता के समक्ष रखा जाता है। इससे सम्बन्धित राजनीतिक दल की शपथ, वादों, नीतियों तथा उपलब्धियों का समावेश होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में ये शब्द और वाक्यांश में लाये जाते हैं। जिनके अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं-

(अ) 'प्रतिज्ञा' एक सहमति, शपथ या प्रण होती है।

(ब) 'प्रतिबद्धता' एक समर्पण होता है, किसी कारण, लक्ष्य या कृतज्ञता के प्रति।

(स) 'वचन' स्वयं की किसी निश्चित कार्य को करने से सम्बन्धित शपथ होती है।

(द) 'निष्ठा' का अर्थ है किसी कार्य या विचार के प्रति गंभीरता।

भारत में चुनावी घोषणा पत्र निर्धारण के प्रमुख कारक – संसदीय व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दल चुनाव से कुछ दिन पूर्व अपना घोषणा पत्र मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते है। इन घोषणा पत्रों में वादों एवं नीतिगत के बिन्दु शामिल किये जाते है। भारत में बहुदलीय प्रणाली के विकसित होने के कारण यहघोषणा पत्र दलों के राजनीतिक एवं रणनितिक दिशा तय करते है। स्पष्ट रूप से घोषणा पत्रों का प्रभाव मतदाताओं के माध्यम से चुनावी परिणाम पर दृष्टिगोचर होता है। सोशल मिडिया तथा संचार माध्यमों की व्यापकता के कारण घोषणा पत्रों के महत्व एवं प्रभाव काफी बढ गया है। इसलिए इनकी विश्वनियता कायम रखने के प्रयास में

राजनीतिक दल अब वैकल्पिक रूप से इनके लिए आकर्षक नामावली संकल्प पत्र वचन पत्र विजन डोक्युमेंट इत्यादि का प्रयोग करने लगे है। चुनाव घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख निर्धारक कारक इस प्रकार रहे है।

1. विचारधारा (पंथ निरपेक्षता, यु सी सी, धारा 370, समाजवाद)
2. सामृदायिक– जातिवादी तुष्टीकरण तथा वोट बैंक की राजनीति
3. क्षेत्रवाद – क्षेत्रिय आर्थिक असंतुलन, भाषा
4. किस की धीमी गति
5. गरीबी, अशिक्षा तथा अन्य सामाजिक सूचकांक
6. नैतृत्व की महत्वाकांक्षा
7. मुफ्त – रेवडी देने की राजनीति

चुनावी घोषणा पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं जवाबदेही का निर्धारण चुनावी घोषणा पत्र मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए लोकलुभावन वायदो तथा नीतियो का एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसका कोई वैधानिक आधार नही होता। चुनावी घोषणा पत्रों को लागु करना राजनीतिक दलों के लिए सत्ता प्राप्त करने के बाद बाध्यकारी भी नही होता इसलिए चुनाव से पूर्व मूलभूत सामाजिक आर्थिक सूचकांको के अतिरिक्त कही ऐसे लोलुभावन आर्थिक वायदे भी कर दिये जाते है जिन्हे पुरा करना राजनीतिक दलों के लिए असंभव सा ही हो जाता है। जैसे 1971 में गरीबी हटाओं, 2012 72000 रूपये नकद भुगतान करने, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु तथा राजस्थान में लेपटोप, स्मार्ट फोन, टी वी, कुकर, मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा इत्यादि वायदे अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से राजनीतिक दलों के लिए से पूर्णत: लागु करना व्यवहारिक नही प्रतीत होता है।

भारत में घोषणा पत्र के बिन्दुओं का लागु करवाने और राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्व निर्धारण का कोई वैधानिक अथवा सस्थागत तंत्र ना होने के बावजूद इस संदर्भ में कुछ प्रयास अवश्य हुए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में सुब्रहमनीयम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार के वाद में कहां कि 1951 के जनप्रतिनिधी कानून की धारा 123 के अंतर्गत चुनावी वायदों को प्रेष्ट आचरण नही माना जा सकता परन्तु मुफ्त की योजनाओं तथा चुनाव के उपरान्त मतदाताओं की अनदेखी करने के संबंध में चुनाव आयोग को दलों की सहमति से दिशा–निर्देश निर्धारित करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के भाग 8 में इस संबंध में दिशा–निर्देश शामिल किये गये है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधी कानून 1951 के खंड 127 ए में भी चुनावी घोषणा पत्रों की बेलगाम स्वच्छदता को नियंत्रित करने के उपाय शामिल है। भारत के चुनाव आयोग ने विभिन्न अवसरों पर राजनीतिक दलों को चेतावनियां भी दी है। 2016 में तमिलनाडु में ए आई ए डी एम के को 2017 को आम आदमी पार्टी को और 2017 में ही समाजवादी पार्टी को इन्ही करणों से चेतावनी दी गई थी।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद कठोर वैधानिक प्रावधानों के अभाव में चुनाव घोषणा पत्रों में अव्यवहारिक एवं निरर्थक लोकलुभावन मुफ्त के वायदों का दौर अनवरत जारी है। इससे चुनाव घोषणा पत्रों पर जनता का विश्वास निश्चित रूप से प्रभावित होता है।

निष्कर्ष – भारत के संसदीय लोकतंत्र में निसंदेह चुनाव घोषणा पत्रों का एक विशिष्ट स्थान है। जनता तथा राजनीतिक दलों के बीच में एक प्रभावी संपर्क सूत्र का कार्य करते है। विशेष रूप से संचार के बढते माध्यमों से राजनीतिक दलो की मंशा तथा नीतियां इन्हीं चुनाव घोषणा पत्रों के द्वारा प्रकट होती है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव घोषणा पत्र अधिकांशत: आभासी ही साबित हुए है। नीतिगत विषयों की गंभीरता तात्कालिक मुफ्त की रेवडी की राजनीति ने काफी कम कर दी है। आवश्यकता इस बात की है कि मतदाता विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक दलों को पुरे किये जा सकने वाले तथा देश के समग्र विकास को आगे बढाने वाले बिन्दुओं को चुनाव घोषणा पत्र में शमिल करने के लिए बाध्य करें। चुनाव घोषणा पत्र वस्तुत चुनाव के बाद नीति पत्र में परिवर्तित किये जाने योग्य होने चाहिए जैसा कि कुछ राज्यो में शुरू भी किया है। अन्यथा लोकतंत्र के प्रति विश्वनियता भी प्रभावित हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. आचार्य गोस्वामी भाल चन्द्र, 'संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका', प्रकाशन : पोइन्टर पब्लिशन, जयपुर, 1997, पृ. 1ह5.
2. वेद. ई. एस., 'ला एण्ड ओपीनियन इन इंग्लैण्ड, प्रकाशन : मेकमिलन कम्पनी, लन्दन, 1961, पृ. 50—52.
3. गार्नर जेम्स विलफोर्ड, 'पालिटिक्ल साईस एण्ड गर्वनमेन्ट' प्रकाशन दी वर्ल्ड प्रैस प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता, 1951 पृ. 286.
4. ब्राइस जेम्स, 'मार्डन डेमोक्रेटिक' वाल्यूम – 1 प्रकाशन : दी वर्ल्ड प्रैस प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता, 1962, पृ. 26.
5. आचार्य गोस्वामी भालचन्द्र, 'संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका' प्रकाशन : पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर, 1997, पृ. 5.
6. नीरजा गोपाल, प्रताप भानू महता, 'भारत में राजनीति' प्रकाशन : आक्सफोर्ड यूनिवसर्टी प्रेस 2010, पृ. 98 –100.
7. भारणक एस. बी. 'चुनाव: लोकतन्त्र की अभिव्यक्ति' प्रकाशन योजना भवन, नई दिल्ली, पृ. 7–10.
8. राय, डॉ. गुलशन, 'भारतीय सरकार व राजनीति' प्रकाशन : जनता हाऊस, दिल्ली पृ. 450–455.
9. फड़िया डॉ. बी. एल., 'भारतीय राजव्यवस्था और भारत का संविधान' प्रकाशन : साहित्य भवन, आगरा, पृ. 265.
10. राय डॉ. गुलशन, 'भारतीय सरकार व राजनीति' प्रकाशन : जनता हाऊस, दिल्ली, पृ. 450–455.
11. चण्डीदास आर., ' इण्डिया वोटस' प्रकाशन : पापुलर, बम्बई, 1998, पृ. 118.

12. तिवारी अरूण, 'जनता के सरोकार और दलीय घोषणा – पत्र' 11 अप्रैल, 2014, राष्ट्रीय सहारा.
13. परमानन्द, 'न्यू डाइमेंशन इन इण्डियन पोलिटिक्स' प्रकाशन : यू. डी. एच., दिल्ली, 1985, पृ. 11.
14. द कन्साइज आक्सफोर्ड डिक्शनरी आफ करन्ट इंग्लिश, 1970, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पृ. 741.
15. चैम्बर्स, टवन्टिस्थ सेन्चरी डिक्शनरी, 1976, स्लाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 798.
16. मार्क्स कार्ल एण्ड एंजिल्स फ्रेडरिक 'कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, 1971, पेगुइन, पृ. 7
17. घोषणा–पत्र का इतिहास (www.internet.com)
18. भार्गव डॉ. प्रभा, 'चुनाव घोषणा–पत्र सिद्धान्त व स्थिति' प्रकाशन : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006, पृ. 4. 22
19. www.electioncommissionofindia.com
20. नारायण इकबाल, 'स्टेट पोलिटिक्स इन इण्डिया' प्रकाशन : मीनाक्षी, मेरठ, 1976.
21. इरफान अहमद, भारतीय चुनाव में घोषणा पत्र, अलजजीरा, अप्रेल 15, 2014
22. कृष्णा महाजन एवं योगेशसिंह, चुनाव घोषणा पत्र – वैधानिक यथार्थता अथवा आभासी, टी एन एन एल यु लॉ रिव्यु 2018

****